

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/50/2021

रजि० न० 2021/92

अपीलार्थी:—

श्री गिराज प्रसाद सैनी पुत्र श्री फूसाराम  
सैनी, निवासी 183-186 पवनपुत्र एच  
कॉलोनी मीना वाला सिरसी रोड, जयपुर  
302034 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:—


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०  
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 05.04.2021

- 1.अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2021 प्रस्तुत कर भू-अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधी 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
- 2.अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3.अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.04.2021 को उपस्थित आवे।
- 4.अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/703 दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलेक्टर, अलवर के पत्रांक भू.अ./रिकॉर्ड/2021/3614 दिनांक 24.02.2021 के माध्यम से सूचना प्राप्त कर, कार्यालय के पत्र लो.सू.अ./विविध/2021/560 दिनांक 25.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को पंजीकृत-पत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
- 5.लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
- 6.निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
- 7.पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।



(नन्नुमल पहाड़िया)

जिला कलेक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)